संख्या- 13/2019/704/बयालिस-2019-06(बजट)/2019

प्रेषक,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2019**

विषय :- **वित्तीय वर्ष- 2018-19 में 04-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु) एवं 06-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालकों हेतु) 42-अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी0- 1607/2018-19, दिनांक 25.02.2019 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय संलग्न बी0एम0- 9(भाग-1) प्रपत्र संख्या- 575/बयालिस-2019-06बजट)/2019, दिनांक 12.03.2019 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्तीय वर्ष- 2018-19 में 04-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु) एवं 06-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालकों हेतु) 42- अन्य व्यय मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत किये जाने हेतु रू0 68.76 लाख (रू0 अडसठ लाख छियत्तर हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था करते हुए उक्त सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृत धनराशि रू0 68.76 लाख (रू0 अडसठ लाख छियत्तर हजार मात्र) निदेशक, खेल के निर्वतन पर रखी जायेगी। उक्त धनराशि स्वीकृत वित्तीय वर्ष- 2018-19 में उपलब्ध बजट के अन्तर्गत दी जा रही है।

(2)- पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी तथा उक्त धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- उक्त मद में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष- 2018-19 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद-04-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु) एवं 06-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालकों हेतु) 42-अन्य व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 704/बयालिस-2019-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

(2)- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।

(3)- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2

(5)- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग- 5

(6)- नियोजन अनुभाग- 4

(7)- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0 एम0-9(भाग-1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर-158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भांति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम :- अनुदान संख्या-22 वित्तीय वर्ष 2018-19

(रू0 लाख में)

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2-5)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद 22- प्रदेशीय क्रीड़ा संघो, क्लबों एवम् अन्य क्रीड़ा संघो आदि को प्रतियोगिताओं आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरणों के क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 220400104220020	39.24	34.24	34.24	34.24	5.00
2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें, 104-खेलकूद 21-राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाडियों हेतु किट की व्यवस्था 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) 220400104210020	75.00	34.52	34.52	34.52	40.48
कुल योग	**114.24**	**68.76**	**68.76**	**68.76**	**45.48**
निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) राजस्व लेखा	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/ विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8+11)
7	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद 04-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु) 42-अन्य व्यय 220400104040042	105.91	142.77	36.86	36.86	142.77
लेखाशीर्षक 2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 06-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाडियों पर व्यय					

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(बालकों हेतु) 42-अन्य व्यय 220400104060042	448.38	480.28	31.90	31.90	480.28
कुल योग	**554.29**	**623.05**	**68.76**	**68.76**	**623.05**

(1) स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :-

वित्तीय वर्ष 2018-19 में लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें-104-खेलकूद 22-प्रदेशीय क्रीड़ा संघो, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघो आदि को प्रतियोगिताओं आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरणों के क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 34.24 एवं 2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें, 104-खेलकूद 21-राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में रू0 34.52 लख इस प्रकार कुल रू0 68.76 लाख बचत सम्भावित है।

(2) स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :-

लेखाशीर्षक 2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें 104-खेलकूद 04-क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु) 42-अन्य व्यय मद में रू0 105.91 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। आवासीय बालिका खिलाड़ियों की संख्या 220 एवं आवासीय बालक खिलाड़ियों की संख्या 670 कुल संख्या 890 निर्धारित है तथा छात्रावास के एक खिलाड़ी पर प्रति वर्ष 89,950/- की धनराशि मानक के अनुसार व्यय की जाती है। मानक के अनुसार 220 बालिका खिलाड़ियों पर रू0 197.89 लाख की आवश्यकता के सापेक्ष रू0 105.91 लाख की बजट व्यवस्था है। क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी/क्रीड़ाधिकारी की मांग के आधार पर रू0 36.86 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।

इसी प्रकार मानक के अनुसार 670 बालक खिलाड़ियों पर रू0 602.66 लाख की आवश्यकता के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018-19 में रू0 448.38 लाख की बजट व्यवस्था उपलब्ध है। उक्त मदों में धनराशि कम उपलब्ध होने के कारण क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी द्वारा की गयी मांग के आधार पर क्रीड़ा छात्रावास बालकों के भोजन आदि पर व्यय हेतु रू0 31.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता होगी ।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव

संख्या: आरई-595/ई-5-328 /दस-2019, दिनांक- 12 मार्च, 2019

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
प्रथम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।

(आनन्द कुमार राय)
अनु सचिव
वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-5

संख्या- 575/बयालिस-2019-06(बजट)/2019-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संबधित विभागाध्य (नियंत्रक अधिकारी)
2- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन लखनऊ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in